अपराध पीड़ित प्रतिकर योजनाओं-नालसा लैंगिक हमलों/अन्य अपराधों की पीड़िताओं/सर्वाईवर्स महिलाओं के लिये प्रतिकर योजना, 2018, म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 आदि हेतु

मानक संचालन प्रक्रिया

धारा 357–ए द.प्र.सं. के अनुसार निर्मित म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 (सुविधा हेतु इसे आगे मात्र म.प्र. योजना कहा जाएगा) एवं नालसा लैंगिक हमलों/अन्य अपराधों की पीड़िताओं/सर्वाईवर्स महिलाओं के लिये प्रतिकर योजना, 2018 (सुविधा हतु इसे आगे मात्र नालसा योजना कहा जाएगा) के अनुसरण में प्राप्त आवेदन/अनुशंसाओं के संबंध में व इन प्रावधानों के संबंध में स्थिति को स्पष्ट किये जाने, विभिन्न जिला प्राधिकरणों के द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया में भिन्नताओं को दूर कर एक समान मान्य प्रक्रिया का पालन हो, इस प्रयोजन से यह मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की गई है।

प्रस्तावना/प्रावधान :–

भारतीय आपराधिक न्याय शास्त्र में सामान्य सिद्धांत अपराधी को दंडित करने का रहा है, यद्यपि अपराध से पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर दिलाये जाने के प्रावधान प्रारंभ से ही धारा 357 दंड प्रक्रिया संहिता में विद्यमान थे, जो कि पीड़ित को प्रतिकर अभियुक्त द्वारा किये गये कृत्य के परिणामतः अर्थदण्ड अथवा अभियुक्त द्वारा पीडित को प्रतिकर प्रदाय किये जाने से संबंधित है परंतु राज्य सरकार द्वारा अपराध से पीड़ित व्यक्ति को अपराध के परिणामस्वरूप कारित हानि या क्षति की प्रतिपूर्ति एवं पुनर्वास के प्रयोजन से प्रतिकर प्रदाय किये जाने के संबंध में विधि मौन थी फलतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में धारा 357–क के रूप में वर्ष–2009 में म.प्र. राजपत्र असाधारण में दिनांक 31.12.2009 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या–5 की धारा–28 द्वारा पीड़ित प्रतिकर योजना के संबंध में विशेष प्रावधान जोड़े गये है। जो कि केंद्र व राज्य सरकार को पीड़ित व्यक्ति या उसके आश्रितों को अपराध के परिणामस्वरूप हुई या नुकसान के संबंध में पुनर्वास हेतु प्रतिकर की कार्ययोजना, निधि तैयार करने की योजना बनाने, न्यायालय द्वारा प्रतिकर अदायगी की संस्तुति किये जाने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ऐसी योजनाओं के अंतर्गत प्रतिकर अदायगी के संबंध में मात्रा का विनिश्चय करने से संबंधित है।

उपरोक्तानुसार धारा–357 (क) द.प्र.सं. प्रावधान के अनुसरण में मध्यप्रदेश राज्य द्वारा मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 निर्मित की गयी। यह योजना दिनांक 31.03.2015 को मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण में प्रकाशित होकर इस योजना के नियम–1(ग) अनुसार इसके प्रकाशन की तारीख से इसे लागू किया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा W.P. (C) No. 565 of 2012 Nipun Saxena & ANR. Vs Union of India & ORS. में पारित आदेश दिनांक 22.09.2017 एवं दिनांक 05. 09.2018 के परिपालन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लैंगिक हमलों/अन्य अपराधों की पीड़िताओं/सर्वाईवर्स महिलाओं के लिये प्रतिकर योजना, 2018 को 02.10. 2018 से लागू किया गया है।

प्रतिकर हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में मध्यप्रदेश योजना अथवा नालसा योजना में से किस योजना के अंतर्गत कार्यवाही करें ?

नालसा योजना के प्रावधान 2 (O) तथा (P) के अनुसार लगिक हमलों से पीड़ित/महिला पीड़ित/अन्य अपराधों के उत्तरजीवी पीड़ित व्यक्ति के अंतर्गत महिला मात्र को ही सम्मिलित किया गया है। अतः स्पष्ट है कि नालसा योजना महिला पीड़ितों को प्रतिकर प्रदान किये जाने के संबंध में विशेष योजना है एवं यदि किसी महिला पीड़ित/आश्रित/थाना प्रभारी के द्वारा अंतरिम अथवा अंतिम प्रतिकर हेतु आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र को विचार में लेकर उल्लेखित प्रक्रिया एवं अनुसूची अनुसार आवेदन पत्र का निराकरण कर सकता है।

नालसा योजनांतर्गत विचार में नहीं आने वाले पीड़ितों के संबंध में म.प्र. योजना के अंतर्गत आवेदन को विचार में लिया जा सकता है तथा म.प्र. योजना में उल्लेखित प्रक्रिया एवं अनुसूची अनुसार आवेदन निराकृत किया जा सकता है।

प्रतिकर दिलवाने हेतु आवेदन/संस्तुति कौन कर सकता है:–

धारा 357– (क) दं.प्र.सं. व म.प्र. योजना के नियम 05 के इन प्रावधानों से स्पष्ट है कि प्रतिकर दिलवाने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने के दो आधार हो सकते है पहला न्यायालय की अनुशंसा व दूसरा पीड़ित या उसके आश्रित का आवेदन।

नालसा योजना के प्रावधान 4, 6 एवं 9 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिकर हेतु आवेदन पत्र, पीड़ित महिला अथवा उसके आश्रित अथवा थाना प्रभारी द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के अतिरिक्त, प्रावधान 12 के अनुसार न्यायालय द्वारा अनुशंसा प्राप्त होने अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उचित प्रकरण में स्वतः संज्ञान लेकर भी किया जा सकता है।

न्यायालय की अनुशंसा एवं आवेदन की स्थिति के संबंध में विचार करे तो:–

धारा 357– (क) दं.प्र.सं. की उपधारा–2 के अनुसार न्यायालय प्रतिकर दिलवाने की संस्तुति कर सकता है। इस प्रावधान में अनुशंसा किस स्तर पर की जाएगी, यह कही उल्लेखित नही किया गया है। जबकि धारा 357 – (क) दं. प्र. सं. की उपधारा–3 व म.प्र. योजना का नियम 5 (2) समरूप होकर ये विचारण की पूर्णता पर धारा–357 दं.प्र.सं. के

अधीन दिये जाने वाले प्रतिकर के पर्याप्त नहीं होने अथवा मामले का निराकरण दोषमुक्ति या उन्मोचन के रूप में होने पर व पीड़ित के पुनर्वास की आवश्यकता को देखते हुए न्यायालय को प्रतिकर हेतु संस्तुति करने का प्रावधान करती है।

धारा–357 – क दं.प्र.सं. की उपधारा–6 अंतरिम अनुतोष प्रदान करने के प्रावधान करती हैं।

म.प्र. योजना के नियम–5(1) के द्वारा धारा 357– (क) द.प्र.सं. की उपधारा 2 या 3 के अधीन न्यायालय की सिफारिश पर की जाने वाली कार्यवाही की स्थिति स्पष्ट की गयी है।

इन प्रावधानों से स्पष्ट है कि न्यायालय (जिसके द्वारा संज्ञान लिया गया है अर्थात मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय) उनके समक्ष के प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों में प्रकरण के किसी भी स्तर पर पीड़ित या उनके आश्रित को प्रतिकर/ पुनर्वास दिलवाने के संबंध में संस्तुति या अनुशंसा कर सकती है। ऐसी अनुशंसा अंतरिम या अंतिम सहायता दिलवाने की प्रकृति की हो सकती है।

प्रत्येक आपराधिक विचारण में विचारण न्यायालय को निर्णय में धारा 357, 357 (क) दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार पीड़ित या उनके आश्रित को अर्थदण्ड राशि में से या उससे अतिरिक्त प्रतिकर दिलवाने या नही दिलवाने के संबंध मे, अनुशंसा करने या न करने के संबंध मं स्पष्ट करना चाहिए।

यदि पीड़ित या उसके आश्रित, अभियोजन द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष इस संबंध में कोई आवेदन दिया जाने पर व ऐसा न होने पर भी प्रकरण के प्रकट तथ्यों व परिस्थितियो मे न्यायालय प्रतिकर दिलवाने की अनुशंसा कर सकती है।

न्यायालय द्वारा प्रतिकर हेतु अनुशंसा संबंधी आदेश के अभाव में स्थितिः–

म.प्र. योजना के नियम 05 का उपनियम 3 दं.प्र.सं. की धारा 357– (क) की उपधारा–4 के अनुसार आवेदन करने का प्रावधान **करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पीड़ित को प्रतिकर की अदायगी का कोई आदेश नहीं दिया जान की स्थिति में भी पीड़ित या उसका आश्रित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन कर सकने का अधिकार देती है।**

म.प्र. योजना के प्रावधान 5 (3) अनुसार पीड़ित या उसके आश्रित द्वारा अपराध घटित होने पर निम्न स्थितियों में प्रतिकर प्राप्ति के लिए आवेदन दिया जा सकता हैः–

1. जहाँ पीड़ित की पहचान हो गई हो, पर अपराध करने वाला खोजा पहचाना नहीं जा सका हो और विचारण नहीं हुआ हो,

अथवा

2. विचारण होने पर विचारण न्यायालय ने पीड़ित को प्रतिकर अदायगी का कोई आदेश नहीं दिया हो।

अतः योजना तैयार करते समय पीड़ित या उसके आश्रित को आवेदन प्रस्तुति का एक अतिरिक्त विकल्प उन परिस्थितियों में दिया गया है जहाँ न्यायालय ने प्रतिकर हेतु कोई अनुशंसा नहीं की है।

पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत प्रतिकर एवं म.प्र. योजना तथा नालसा योजना के अंतर्गत प्रतिकर निर्धारण की प्रकिया :–

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 33 (8) के अनुसार ''समुचित मामलों में विशेष न्यायालय बालक को कारित शारीरिक या मानसिक आघात के लिये त्वरित पुर्नवास के प्रयोजन से प्रतिकर के संदाय का निदेश दे सकेगा, जोकि विहित किया जाये''।

इसी प्रकार लैंगिक अपराधों स बालकों का संरक्षण नियम, 2020 के नियम 9 (1) के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत होने के पश्चात् किसी भी स्तर पर बालकों के राहत और पुर्नवास के लिये विशेष न्यायालय स्वतः अथवा बालक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर अंतरिम प्रतिकर हेतु आदेश पारित किया जा सकता है, जिसे अंतिम प्रतिकर के साथ समायोजित किया जायेगा।

नियम 9 (2) विचारण की समाप्ति के पश्चात निर्णय के स्तर पर अथवा अभियुक्त की पहचान न हो पाने की परिस्थिति में बालक को स्वतः अथवा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर प्रतिकर देने की अनुशंसा का प्रावधान करता है।

नियम 9 (3) में वे प्रासंगिक कारक प्रावधानित किये गये है जिनके आधार पर विशेष न्यायालय को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357–क की उपधारा (2) एवं (3) के साथ अधिनियम की धारा 33 (8) के अधीन पीड़ित बालक को प्रतिकर प्रदान करने का निदेश देगा।

उक्त प्रावधानों एवं नियमों के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत Hon'ble Delhi High court in MST. X (THROUGH MOTHER AND NATURAL GUARDIAN) Vs STATE & ORS.in W.P.(CRL) 1419/2020(Date of decision *13th May, 2021)* भी अवलोकनीय है।

उपरोक्तानुसार विशेष न्यायालय अंतरिम प्रतिकर हेतु निदश दे सकेगा, जो कि प्रतिकर की राशि निर्धारित कर भुगतान किये जाने का निदेश हो सकता है अथवा न्यायालय द्वारा राशि निर्धारित किये बिना पीड़ित को प्रतिकर प्रदान किये जाने का निदेश हो सकता है। इसके अतिरिक्त अंतिम प्रतिकर प्रदान किये जाने हेतु विशेष न्यायालय नियम 9 (2) के अंतर्गत अनुशंसा कर सकेगा।

जहां विशेष न्यायालय द्वारा गुणदोष क आधार पर प्रतिकर आवेदन निरस्त नहीं किया गया है अथवा निर्णय/आदेश प्रतिकर के संबंध में मौन है एवं पीड़ित बालक के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष प्रतिकर हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में पॉक्सो अधिनियम 2012 एवं नियम 2020 के अनुसार कोई प्रावधान न होने तथा इस संबंध में कोई निर्बंधन न होने से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अपराध से पीड़ित व्यक्तियों को प्रतिकर प्रदान किये जाने के संदर्भ में निहित उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिकर प्रदान करना चाहिये।

उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि नालसा योजना के प्रावधान 18 के स्पष्टीकरण के अनुसार पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय द्वारा प्रतिकर संबंधी बिंदु निर्धारित किये जाने संबंधी विशेष प्रावधान होने से नालसा योजना के प्रावधान पॉक्सो एक्ट के अंतगत अवयस्क पीड़ितों के संबंध में लागू नहीं होंगे एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी WP(C) 565/12 Nipun Saxena & ANR. Vs Union of India & ORS. में पारित आदेश दिनांक 05.09.2018 के अनुसार पॉक्सो अधिनियम 2012 के नियमों में संशोधन होने तक अंतरिम व्यवस्था स्वरूप नालसा योजना को मार्गदर्शक नियम के रूप में लागू किये जाने के निर्देश दिये गये थे परंतु वर्तमान में पॉक्सो अधिनियम 2012 के नवीन नियम 2020 प्रवर्तन में आ चुके है तथा स्पष्टतः नालसा योजना महिला पीड़ितों को प्रतिकर प्रदान किये जाने पर केन्द्रित है। अतः पॉक्सो अधिनियम 2012 एवं नियम 2020 के अंतर्गत पीड़ित बालक को प्रतिकर प्रदान किये जाने संबंधी कार्यवाही म.प्र. राज्य योजना के अंतर्गत की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित बालक को प्रतिकर प्रदान किये जाने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही कर सकते है :–

1. यदि विशेष न्यायालय द्वारा अंतरिम प्रतिकर हेतु पीड़ित बालक को नियम 9 (3) में वर्णित प्रासंगिक कारकों के आधार पर प्रतिकर राशि का निर्धारण कर प्रतिकर प्रदान किये जान का निदेश दिया जाता है तब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उक्त राशि अनुसार प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही करनी चाहिये।

2. यदि विशेष न्यायालय द्वारा राशि निर्धारित किये बिना, मात्र प्रतिकर प्रदान किये जाने का निदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंसा के रूप में दिया जाता है तब भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को, पीड़ित बालक को म.प्र. राज्य योजना के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए विहित अनुसूची अनुसार एवं योजना में विहित प्रक्रिया का पालन कर प्रतिकर प्रदान करना चाहिये।

3. यदि विशेष न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर प्रतिकर आवेदन निरस्त नहीं किया गया है अथवा निर्णय/आदेश प्रतिकर के संबंध में मौन है एवं पीड़ित बालक के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष प्रतिकर हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तब भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित बालक को म.प्र. राज्य

योजना के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए विहित अनुसूची अनुसार एवं योजना में विहित प्रक्रिया का पालन कर प्रतिकर प्रदान करना चाहिये।

प्रतिकर भुगतान :–

पॉक्सो नियम, 2020 के नियम 9 (4) में विशेष न्यायालय द्वारा दिए गये मुआवजें का भुगतान राज्य सरकार द्वारा पीड़ितों के लिये क्षतिपूर्ति निधि या अन्य स्कीम या उनके द्वारा पीड़ितों को मुआवजा देने और पुनर्वास करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357 क या जहॉ इस तरह की निधि या स्कीम नहीं है वहॉ किसी अन्य विधि के अधीन इस प्रयोजन के लिये स्थापित राज्य सरकार को निधि या स्कीम से किया जायेगा एवं नियम 9 (5) में राज्य सरकार को मुआवजे का भुगतान करने का प्रावधान है।

उपरोक्तानुसार धारा 357 ए दं.प्र.सं. के प्रावधानों के आलोक में जारी म.प्र. राज्य योजना के बिंदु क्रमांक 3 के अंतर्गत **''अपराध पीड़ित प्रतिकर निधि''** के गठन का प्रावधान किया गया है। अतः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विशेष न्यायालय द्वारा दिए गये आदेश/अनुशंसा/निर्देश अनुसार म.प्र. योजना के अंतर्गत गठित अपराध पीड़ित प्रतिकर निधि में से प्रतिकर के भुगतान की कार्यवाही कर सकते है।

नालसा योजना के प्रावधान 2 (इ) के अनुसार - "Fund means state fund i.e. victim compensation fund constituted under the state victim compensation scheme" इसी प्रकार 2 (जी) के अनुसार – women victims compensation fund - means - a fund segregated for disbursement for women victim, out of state victim compensation fund and central fund.

नालसा योजना के प्रावधान 3 के अनुसार women victims compensation fund के अंतर्गत CVCF Scheme 2015 से प्राप्त अनुदान, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को प्राप्त Budgetary allocations, Cost amount, योजना के नियम 14 के अंतर्गत वसूल की गई प्रतिकर राशि, अन्य अधिकरणों से प्राप्त दान, अनुदान सम्मिलित है, जो कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जायेगा तथा योजना के प्रावधान 11 के अनुसार राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रतिकर राशि का भुगतान किया जायेगा।

उक्त प्रावधानों के आलोक में यह उल्लेखनीय है कि नालसा योजना के अंतर्गत प्रावधानित women victims compensation fund पृथक से गठित नहीं किया गया है, तथा फण्ड की परिभाषा में राज्य योजना के अंतर्गत गठित फण्ड भी सम्मिलित है, जैसा कि प्रावधान 2 (ई) में परिभाषित किया गया है, अतः नालसा योजना के अंतर्गत प्रतिकर भुगतान हेतु पृथक से फण्ड गठित होने तक म.प्र. योजना के अंतर्गत गठित अपराध पीड़ित प्रतिकर निधि में से प्रतिकर राशि का भुगतान किया जा सकता है।

अपराध पीड़ित प्रतिकर के संबंध में आदेश :–

धारा 357 (क) द.प्र.सं. तथा म.प्र. योजना के प्रावधान 05 के अनुसार राज्य/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रतिकर निर्धारण संबंधी प्रावधान किया गया है, इसी प्रकार नालसा योजना के प्रावधान 6 के अनुसार सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन/अनुशंसा प्राप्त होने पर निराकरण करने का प्रावधान किया गया है।

योजना का प्रावधान 4 राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों के गठन का प्रावधान करता है, जिसके नियम– ग के अनुसार जिला स्तरीय समिति प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में लंबित प्रकरणों का परीक्षण एवं पुर्नावलोकन करेंगी, जबकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आवेदन पत्र/न्यायालय द्वारा अनुशंसा प्राप्त होने पर प्रावधान 5 (1) एवं 6 के अनुसार सम्यक जांच कर प्रतिकर की राशि का निर्धारण करेगा।

अतः समुचित प्रतिकर का निर्धारण/आदेश एवं इस संबंध में किये जाने वाली जाँच म.प्र. योजना के प्रावधान 5 सहपठित प्रावधान 6 के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिये तथा प्रावधान 4 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति को प्रतिकर से संबंधित लंबित प्रकरणों का परीक्षण एवं पुर्नावलोकन (Supervision) करना चाहिये।

नोट :– उपरोक्त दिशा निदंश पीड़ित को त्वरित प्रतिकर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के मध्य प्रतिकर संबंधी कार्यवाही में एकरूपता की दृष्टि से जारी किये गये है, जो कि प्राधिकरण के आगामी अन्यथा आदेश तथा माननीय सर्वोच्च/म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में जारी दिशा निर्देश के अधीन होंगे।

------x------

(15)

तत्काल / समयसीमा

मध्यप्रदेश शासन
गृह (सी-अनुभाग) विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 44-07 / 2015 / दो / सी-2, भोपाल दिनांक 26 / 9 / 2015
प्रति,

1- समस्त जिला दण्डाधिकारी,
2- समस्त पुलिस अधीक्षक,
3- समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकारी,
मध्यप्रदेश.

विषय: म0प्र0 अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के अंतर्गत अम्ल (तेज़ाब) हमले के मामले के पीड़ित / पीड़िता को 15 दिवस के अंदर सहायता राशि का भुगतान।

राज्य में घटित अम्ल हमले के मामलों की समीक्षा में यह बात प्रकाश हुई है कि जिला स्तर पर पर्याप्त बजट उपलब्ध होने के बावजूद भी योजना में संलग्न अनुसूची के सरल क्रमांक 6 (क) एवं (ख) में निर्धारित समय 15 दिवस एवं 02 माह के अंदर सहायता राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि योजना के बिन्दु क्रमांक-4 में निगरानी के लिए बनाई गई जिला स्तरीय समिति से ही उपरोक्त प्रकरणों का अनुमोदन चाहा जा रहा है जो पूर्णतः योजना की मंशा के विपरीत है।

2/- अतः यह निर्देशित किया जाता है कि योजना की कंडिका 6 (1), (2), एवं 07 (3) के प्रावधानों के अनुसार प्रतिकर की राशि का निर्धारण करना एवं प्रतिकर प्रदाय करने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकारी की है और उसी स्तर पर निर्णय समय से लिया जाकर सहायता राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाये। इसमें किसी प्रकार के विलंब को बहुत ही गंभीरता से लिया जायेगा।

(डी0पी0गुप्ता)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
गृह (सी-अनुभाग) विभाग

निरंतर ...